उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त विभाग
लखनऊ।

संख्या–2 / 2021 / बी–4–46–2021 / दस–10(28) / 94

लखनऊ दिनांक 29 जनवरी, 2021

उत्तर प्रदेश सरकार की गारण्टी मोचन निधि का सृजन तथा प्रशासन की योजना

योजना का शीर्षक

1 यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार गारण्टी मोचन निधि योजना (जिसे आगे 'निधि' कहा गया है) कहलायेगी।

निधि का सृजन

2 उत्तर प्रदेश सरकार (जिसे आगे 'सरकार' कहा गया है) द्वारा राज्य स्तरीय संस्थाओं की ओर से निर्गत गारण्टियों के संबंध में उद्भूत होने वाली प्रतिबद्धताओं को पूरा करने हेतु एक गारण्टी मोचन निधि सृजित की जायेगी।

निधि का सृजन राज्य सरकार के लोक लेखे में किया जायेगा तथा इसका वर्गीकरण लेखाशीर्ष "8235–सामान्य तथा अन्य रक्षित निधियां–117–गारण्टी मोचन निधि–01–गारण्टी मोचन निधि" में किया जायेगा।

योजना का उद्देश्य

3 निधि का उपयोग राज्य स्तरीय उपक्रमों अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा निर्गत बन्ध पत्रों एवं अन्य ऋणों के संबंध में सरकार द्वारा निर्गत गारण्टियों जो हितधारकों द्वारा इन्वोक की गयी हों, से उद्भूत होने वाली भुगतान प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए किया जायेगा।

व्याख्या

(क) निधि में संचित धनराशि का उपयोग केवल सरकार द्वारा ऐसी निर्गत गारण्टी जो हितधारक द्वारा इन्वोक की गयी हो तथा वह संस्था जिसके पक्ष में गारण्टी निर्गत की गयी थी परन्तु उसके द्वारा हितधारक को भुगतान नहीं किया गया, के सापेक्ष भुगतान हेतु किया जायेगा।

सरकार के वार्षिक निवेश में शुद्ध वृद्धि की राशि (अर्थात पूर्ववर्ती वर्ष की समान अवधि में निधि में आउटस्टैण्डिंग अवशेष से अधिक)भारतीय रिजर्व बैंक (जिसे आगे बैंक कहा गया है) द्वारा विशेष अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त किये जाने हेतु अर्ह होगी परन्तु इस प्रावधान के अन्तर्गत प्राप्त होने वाला विशेष अर्थोपाय अग्रिम बैंक द्वारा निर्धारित सामान्य अर्थोपाय अग्रिम से अधिक नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

योजना का प्रारम्भ एवं क्रियान्वयन	4	यह वित्तीय वर्ष 2021–22 से प्रभाव में आयेगी।
निधि में अभिदान	5	(क) निधि का गठन सरकार द्वारा ऐसे प्रारम्भिक अभिदान से किया जायेगा जैसा सरकार द्वारा निर्णीत किया जाय। निधि की राशि में वार्षिक अथवा कम अवधि पर किये जाने वाले अभिदानों द्वारा इस प्रकार वृद्धि की जायेगी कि आगामी पांच वर्षों में इन्वोक होने वाली संभावित अवशेष गारण्टी के फलस्वरूप सरकार पर हस्तांतरित होने वाली गारण्टियों की प्रत्याशित धनराशि के भुगतान हेतु आवश्यक धनराशि संचित हो जाय। (ख) प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार, इन्वोक की गयी अवशेष गारण्टी के कम से कम 1/5वें भाग के बराबर तथा वर्ष के दौरान निर्गत गारण्टी के सापेक्ष इनवोक होने वाली संभावित गारण्टी के बराबर धनराशि का अभिदान करेगी। (ग) सरकार अपने विवेक से अभिदान में वृद्धि कर सकेगी। निधि में अभिदान की धनराशि हस्तांतरित किये जाने हेतु सरकार द्वारा लेखाशीर्ष "2075–विविध सामान्य सेवायें–797–रक्षित निधियों एवं जमा लेखों को/से स्थानान्तरण–03–गारण्टी मोचन निधि को संक्रमण" में बजट व्यवस्था करायी जायेगी। (घ) सरकार द्वारा निधि में अपने अभिदान का वित्त पोषण बैंक से लिये गये ऋण से नहीं किया जायेगा।
सामान्य राजस्व/लोक लेखे से निधि का संबंध	6	(क) निधि की संचित राशि में निधि को होने वाली आय के साथ–साथ सरकार द्वारा किया गया प्रारम्भिक अभिदान, सरकार द्वारा किये गये वार्षिक अथवा अन्य अभिदान तथा जिन संस्थाओं के बन्ध पत्रों/देयताओं के संबंध में राज्य सरकार द्वारा गारण्टी निर्गत की गयी है, उन संस्थाओं से संग्रहीत प्रत्याभूति शुल्क की समय– समय पर जमा की गयी राशि सम्मिलित है। (ख) निधि सरकार के सामान्य राजस्व से बाहर रखी जायेगी तथा इसका उपयोग योजना में विहित रीति से किया जायेगा।
निधि का प्रशासन	7	निधि का रख–रखाव बैंक के केन्द्रीय लेखा अनुभाग द्वारा ऐसे निर्देशों के अधीन किया जायेगा जो सरकार द्वारा

http://shasanadesh.up.gov.in

समय–समय पर निर्गत किये जायें।

निधि के धन का निवेश

8 निधि में संचित धन का निवेश भारत सरकार की ऐसी परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों में किया जायेगा जैसा बैंक द्वारा समय–समय पर सरकार के परामर्श से निर्धारित किया जाय। निवेश हेतु प्रतिभूतियां बैंक द्वारा अपने निवेश पोर्टफालियो से अथवा सेकेण्डरी मार्केट से प्रतिभूति अधिग्रहित कर, प्रस्तर 11 में इंगित अधिभार के अतिरिक्त अन्य कोई अधिभार लगाये बिना उपलब्ध करायी जायेंगी।

संव्यवहारों का लेखांकन

9 (क) निधि के प्रशासन का उत्तरदायित्व सरकार का होगा। निधि के धन के निवेश, पुनर्निवेश/विनिवेश, प्रतिबद्धतायें तथा निधि के प्रयोग आदि से संबंधित सभी विषयों पर सरकार निर्णय करेगी।

(ख) सरकार समय–समय पर बैंक को निर्देश निर्गत करेगी। आवश्यक निवेश हेतु बैंक तत्काल व्यवस्था करेगा। निवेश तथा अन्य प्रासंगिक अधिभार यथा ब्रोकरेज, कमीशन आदि से संबंधित डेबिट का स्क्रॉल बैंक सामान्य रूप से सरकार को प्रेषित करेगा। परन्तु यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधि के निवेश से संबंधित संव्यवहार अन्य संव्यवहारों के साथ मिश्रित न हो जायें, इन्हें पृथक स्क्रॉलों में स्पष्ट रूप से इंगित किया जायेगा।

(ग) स्क्रॉल्स प्राप्त होने पर निवेश संबंधी संव्यवहारों का लेखांकन लेखाशीर्ष : "8235–सामान्य तथा अन्य रक्षित निधियां–117–गारण्टी मोचन निधि–01–गारण्टी मोचन निधि" में किया जायेगा।

(घ) बैंक नियत तिथियों पर इन प्रतिभूतियों पर ब्याज प्राप्त करने तथा उसे निधि में जमा करेगा । सरकार द्वारा किये गये अभिदान के निवेश की भांति, प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज का निवेश किया जायेगा अर्थात, प्रस्तर–8 में विहित निवेश संबंधी व्यवस्था के अनुसार। प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर, सरकार से प्राप्त निर्देशों के आधार पर धनराशि सरकार के खाते में जमा की जायेगी अथवा उसका पुनर्निवेश किया जायेगा, अर्थात् प्रस्तर–8 में रेखांकित व्यवस्था के अनुसार। डेबिट स्क्रॉल्स की भांति प्राप्तियों के लिए बैंक द्वारा पृथक स्क्रॉल्स का प्रयोग किया जायेगा।

(.ङ) सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर बैंक प्रतिभूतियों का विक्रय प्रचलित मूल्य पर अपने मुम्बई कार्यालय के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

माध्यम से करेगा तथा प्राप्त धनराशि में से प्रासंगिक व्यय घटाकर धनराशि सरकार के खाते में जमा करेगा।

(च) प्रतिभूतियों की परिपक्वता अथवा विक्रय से होने वाली प्राप्ति ''गारण्टी मोचन निधि'' में जमा की जायेगी। विक्रय में होने वाला प्रासंगिक व्यय निधि पर भारित किया जायेगा।

(छ) गारण्टी मोचन के फलस्वरूप होने वाले व्यय के लिए सरकार के बजट में संबंधित लेखाशीर्ष में बजट व्यवस्था करायी जायेगी। गारण्टी मोचन हेतु व्यय की वास्तविक धनराशि ही लेखाशीर्ष : "8235–सामान्य तथा अन्य रक्षित निधियां–117–गारण्टी मोचन निधि–01–गारण्टी मोचन निधि" में लेखांकित की जायेगी।

(ज) प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर बैंक प्रतिभूतियों के मोचन की व्यवस्था करेगा। दावों के भुगतान के दायित्व को पूरा करने हेतु समय से पूर्व विनिवेश की दशा में बैंक सरकार के परामर्श से भुनाई जाने वाली प्रतिभूति का निर्णय करेगा तथा प्रतिभूति का विक्रय प्रचलित मूल्य पर करेगा और प्राप्त धनराशि में से प्रासंगिक व्यय घटाते हुये निधि में जमा करेगा ।

(झ) भारतीय रिजर्व बैंक एवं सरकार की परस्पर सहमति से निर्धारित दर पर, सरकार बैंक को कमीशन का भुगतान करेगी। प्रस्तर–9 एवं 11 में इंगित अधिभार की भांति यह अधिभार भी निधि से वहन किये जायेंगे । प्रतिभूतियों के विक्रय से होने वाली हानि अथवा लाभ भी निधि के खाते में ली जायेगी।

<u>व्याख्या</u>

(क) ऐसे प्रत्याहरण के फलस्वरूप सरकार को डेबिट का लेखांकन मुख्य शीर्ष 8235 में किया जायेगा। ऋण की परिपक्वता पर लेखाशीर्ष 8235 (उपशीर्ष – गारण्टी मोचन निधि) के अन्तर्गत अवशेष राशि को लेखाशीर्ष : 8680 (विविध सरकारी खाता) लेजर शेष समायोजन खाते में जमा किया जायेगा।

(ख) निवेश से संबंधित डेबिट का स्क्रॉल, प्रासंगिक व्यय घटाते हुये, बैंक सरकार को सामान्य रूप प्रेषित करेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि निवेश से

http://shasanadesh.up.gov.in

संबंधित निधि के संव्यवहार अन्य संव्यवहारों के साथ मिश्रित न हो जायं, बैंक पृथक स्क्रॉल्स में इन्हें स्पष्ट रूप से इंगित करेगा।

(ग) बैंक, निवेश पर नियत तिथि पर ब्याज प्राप्त कर उसे निधि में जमा करेगा।

(घ) बैंक, प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर, प्रतिभूतियों का मोचन कराये जाने, समय से पहले विनिवेश की दशा में प्रतिभूतियों का विक्रय प्रचलित मूल्य पर करने, तथा प्रासंगिक व्यय घटाते हुये प्राप्त धनराशि ''गारण्टी मोचन निधि–निवेश खाता'' में जमा करने की व्यवस्था करेगा। डेबिट स्क्रॉल्स की भांति बैंक प्राप्तियों के लिए पृथक स्क्रॉल्स का प्रयोग करेगा।

(ङ) समय–समय पर किये जाने वाले अभिदानों पर व्यय के लिए सरकार के बजट में संबंधित लेखाशीर्ष के अन्तर्गत व्यवस्था करायी जायेगी।

(च) निधि से किये जाने वाले व्यय की सीमा तक धनराशि का निधि से प्रत्याहरण निवेश को भुनाकर से किया जायेगा।

निधि का प्रबन्धन करने वाले बैंक के कार्य

10 (क) निधि से समय–समय पर निवेश/पुनर्निवेश/विनिवेश/पुनर्आवंटन/प्रत्याहरण से संबंधित सभी विषयों में बैंक सरकार के दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगा।

(ख) प्रस्तर–5 में उल्लिखित अभिदानों की अनुसूची के अनुसार बैंक सरकार के खाते को डेबिट करेगा।

(ग) निधि में किये गये अभिदानों का बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जायेगा जैसा प्रस्तर–8 में है। निधि में गारण्टी शुल्क, सरकार के अभिदान तथा ब्याज से होने वाली आय का निवेश बैंक द्वारा समान रीति से किया जायेगा।

(घ) इन्वोक की गयी गारण्टियों जिनका भुगतान सरकार द्वारा किया जाना है, के मोचन हेतु सरकार के निर्देशों के अनुसार निधि में अद्यावधिक संचित धनराशि से प्रत्याहरण किया जा सकेगा।

(ङ) बैंक समय–समय पर निधि के बैलेंस के संबंध में स्टेटमेण्ट, सरकार के परामर्श से उसमें होने वाले परिवर्तनों के संबंध में एडवाईस प्रस्तुत करेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निधि के प्रशासन हेतु सेवा अधिभार	11	निधि के टर्नओवर के 01 प्रतिशत के 1/8 प्रतिशत की दर से अथवा समय–समय पर पारस्परिक सहमति से निर्धारित दर पर सरकार बैंक को कमीशन का भुगतान करेगी।
लेखा तथा सम्परीक्षा	12	निधि तथा निवेश के लेखे प्रदेश के महालेखाकार द्वारा सामान्य रूप से रखे जायेंगे। सरकार का संबंधित विभाग उस रीति से तथा विवरण वाले सब्सिडियरी लेखों का रखरखाव करेगा जैसा सरकार द्वारा महालेखाकार के परामर्श से निर्धारित किया जाय।
व्यावृत्ति	13	योजना के प्रावधानों के संबंध में राज्य सरकार समय– समय पर ऐसे निर्देश निर्गत करेगी जो येाजना के सुचारू कार्यान्वयन हेतु विचारित किये जायं। योजना के किसी प्रावधान के क्रियान्वयन में कठिनाई की दशा में सरकार, यदि संतुष्ट हो, ऐसे प्रावधानों को शिथिल कर सकेगी।

संजीव मित्तल

अपर मुख्य सचिव

वित्त विभाग

http://shasanad

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

GOVERNMENT OF UTTAR PEADESH
FINANCE DEPARTMENT
LUCKNOW

No.2/2021/B-4- 46 -2021/X-10(28)/94
Lucknow :Dated: 29 January, 2021

SCHEME FOR CONSTITUTION AND ADMINISTRATION OF THE GUARANTEE REDEMPTION FUND OF THE GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH.

Title of the Scheme	1	The Scheme shall be called Government of Uttar Pradesh Guarantee Redemption Fund Scheme (hereinafter referred to as 'the Fund')
Constitution of The Fund	2	A 'Guarantee Redemption Fund' will be constituted by the Government of Uttar Pradesh (hereinafter called the Government) for meeting its obligations arising out of the Guarantees issued on behalf of State level bodies. The Fund shall be constituted in the Public Account and classified under the head "8235-General and Other Reserve Funds-117-Guarantee Redemption Fund- 01- Guarantee Redemption Fund" in the accounts of the Government.
Objective of the Scheme	3.	The Fund shall be utilized for meeting the payment obligations arising out of the guarantees issued by the Government in respect of bonds issued and other borrowings by the State Level Undertakings or other bodies and invoked by the beneficiaries. Explanation (a) The accumulations in the Fund will be utilized only towards the payment of the guarantees issued by the Government and invoked by the beneficiary and not paid by the institution on whose behalf guarantee was issued Provided that the net incremental annual investment of the State (i.e. outstanding balance over and above the level in the corresponding period of the previous year) shall be eligible for availing Special Ways & Means Advances (Special WMA) from the reserve Bank of India (hereinafter referred to as the Bank) such that the availment of Special WMA under this provision does not exceed the normal WMA limit fixed by the Bank.
Commencement and operation of the scheme	4	It shall come into force with effect from the financial year 2021-22.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Contributions to the Fund	5	(a) The Fund shall be set up by the Government with an initial contribution as to be decided by the State Government. The balance in the Fund shall be increased with contributions made annually or at lesser intervals, so as to reach the level deemed sufficient to meet the amount of anticipated guarantee devolving on the Government as a result of the likely invocation of outstanding guarantees in the succeeding five years. (b) During each year, the Government shall contribute an amount equivalent to at least 1/5th of the outstanding invoked guarantees plus an amount of guarantees likely to be invoked as a result of the incremental guarantees issued during the year. (c) It is open to the Government to increase the contributions to the Fund at its discretion. In order to enable transfer of the total amount of contribution to the Fund, the Government would make suitable Budget provision under the head "2075- Miscellaneous General Services-797-Transfer to/from reserve funds and Deposit Accounts-03-Transfer to Guarantee Redemption Fund". (d) The Government shall not fund its contribution to the Fund out of borrowings from the Bank.
Relationship of Fund with General Revenues/Public Account	6	(a) The corpus of the Fund comprises an initial amount demarcated by the Government, annual or other contributions made by the Government thereto as also periodic accretions by way of Guarantee fee collected from the institutions in respect of whose bonds/obligations, the State Government had issued the guarantee, in addition to the income accruing to the Fund. (b) The Fund shall be kept outside the General Revenues of the Government and shall be utilized only in the manner prescribed in this scheme.
Administration of the Fund	7	The Fund shall be administered by Central Accounts Section of the Bank, subject to such directions/instructions as the Government may issue from time to time.
Investment of the Corpus of the Fund	8	The accretions to the Fund shall be invested in Government of India securities of such maturities as the Bank may determine from time to time in consultation with the Government. The Bank shall make available securities for investment either from its own investment portfolio or by acquiring the securities from the secondary market, without loading any charge other than that indicated in paragraph 11.
Accounting of Transactions	9	(a) The responsibility for the administration of the Fund will rest with the Government. The Government will decide all matters

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

connected with the investment of the corpus of the Fund, reinvestment/ dis-investment, obligations and application of the Fund, etc.

(b) The Government will, from time to time, issue instructions to the Bank. The Bank will immediately arrange to make the necessary investment. The Bank would scroll to the Government the debit on account of the investment and other incidental charges like brokerage, commission etc. in the usual course. However, in order to ensure that the investment transactions of the Fund do not get mixed up with other transactions, these may be indicated distinctly in separate scrolls.

(c) On receipt of the scrolls, the investment transactions would be accounted for under the head "8235- General and Other Reserve Funds – 117- Guarantees Redemption Fund". However, the incidental charges like brokerage, commission etc. shall be accounted for as a charge on the Fund.

(d) The Bank will arrange to collect interest on these securities and credit the same to the Fund on due date. Further, these would require to be invested as in the case of the contributions by the Government i.e. in accordance with the investment norms prescribed in para 8 above. On maturity of the securities, the proceeds will be collected and credited to the account of the Government or reinvested on the basis of instructions received from the Government, i.e. in accordance with the pattern outlined in para 8 intra. As in the case of the debit scrolls the Bank shall use separate scrolls for the receipts.

(e) On receipt of instructions from the Government, the Bank will arrange to sell the securities at the ruling price through its Mumbai office and credit the amount realized, less incidental charges, to the account of the Government.

(f) The receipt on account of maturity or sale of the securities would be taken to the account of the "Guarantees Redemption Fund". The incidental charges on sale would be charged on the Fund.

(g) The provision for expenditure on account of the Guarantees Redemption will be made in the budget of the Government under the relevant heads. Only the actual amount of guarantee redemption expenditure shall be brought in account under the head "8235- General and Other Reserve Funds-117-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Guarantees Redemption Fund01- Guarantee Redemption Fund".

(h) The Bank shall arrange to redeem the securities on maturity. In case of premature disinvestment to meet the liability on account of the claims to be paid, the bank shall decide on the securities to be encashed in consultation with the Government and sell the securities at the ruling price and credit the amount realized , less incidental charges to the Fund.

(i) The Government will pay the Bank, a commission at the rate determined by RBI in consultation with the Government. These charges shall also be borne by the Fund as in the case of the charges indicated in paras 9 and 11. The loss or gain on the sale of securities shall also be taken to the Account of the Fund.

Explanation

(a) The debit to Government on account of such withdrawal will be accounted under the major head 8235. On the maturity of the loan the balance outstanding under the head 8235 (sub-head Guarantee Redemption Fund) is credited to the head 8680 (Miscellaneous Government Account) Ledger Balance Adjustment Account.

(b) The Bank would scroll to the Government the debit on account of investment less the incidental charges in the usual course. However, in order to ensure that the investment transactions of the Fund do not get mixed up with other transactions , these will be indicated distinctly in separate scrolls.

(c) The Bank will arrange to collect interest on the investment and credit the same to the Fund on the due dates.

(d) On the maturity of the securities, the Bank will arrange to redeem the securities and in case of premature disinvestment, to sell the securities at the ruling price and credit the amount realized, less incidental charges to the Guarantees Redemption Fund. As in the case of debit scrolls, the Bank shall use separate scrolls for the receipts.

(e) The provision for expenditure on account of the periodic contributions will be made in the Budget of the Government under the relevant head

(f) The extent of expenditure to be financed from the Fund shall be withdrawn from the Fund by the disposal of the investment.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Functions of the Bank managing the Fund	10	(a) The Bank will be guided by the directions of the Government in all matters concerning the investment/ reinvestment / dis-investment / reallocation / withdrawals from time to time out of the Fund and w ill act accordingly. (b) The Bank would arrange to raise a debit to the account of the government maintained with it as per the schedule of contributions set out in paragraph 5. (c) The contributions to the Fund shall be invested by the Bank in Government Securities as indicated in paragraph 8. The periodic accretion to the Fund by way of guarantee fee, contributions by the Government and interest income shall also be invested by the Bank in a similar manner. (d) The withdrawals may be made from out of the balance accumulated in the Fund up to the date towards the redemption of the guarantees invoked and to be paid by the Government, as per its directions. (e) The Bank will submit periodical statement of balances/ advices regarding the changes therein in consultation with the Government.
Service charges For administration of the Fund	11	The Government will pay to the Bank a commission at the rate of 1/8 percent of one percent of the turnover of the Fund or at the rate to be mutually decided from time to time
Account and Audit	12	The accounts of the Fund and the investments shall be maintained by the Accountant General of the State in the normal course. The concerned Department of the Government will maintain subsidiary accounts in such manner and detail as may be considered by the Government in consultation with the Accountant General.
Savings	13	The State Government shall issue instructions relating to the provisions of the Scheme as may be considered from time to time to enable smooth functioning of the scheme. In case of any difficulty in the operation of any provision of the scheme the Government may, if satisfied, relax the provisions.

Sanjiv Mittal

Additional Chief Secretary Finance Department

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।